

[अनुवाद]

और इसमें दो वर्षगांठ मनाई जा रही हैं। आर्थिक नीति-अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयों के संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पारित संकल्प की 50वीं वर्षगांठ

[हिन्दी]

जिसे अनङ्क किया था आज के हमारे प्रधानमंत्री ने सन् 1992 में।  
...(व्यवधान)

**श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा):** यह भारत की अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयां हैं।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** हां, मुझे इसका पता है। दूसरे, यह आपातकाल की भी 30वीं वर्षगांठ है। पहला था खराब अर्थशास्त्र और दूसरी थी खराब राजनीति। आज मुझे लगता है कि जहां तक अर्थशास्त्र का संबंध है तो तत्कालीन वित्त मंत्री वही कर रहे हैं जिसका उन्होंने उस समय प्रस्ताव किया था। इसी के लिए हमने प्रयास किए थे और आप उसे जारी रख रहे हैं।

[हिन्दी]

ठीक है उसके नुआएंसिस बजट स्पीच में आएंगे, दोष आते हैं। दोष आते हैं।

[अनुवाद]

परंतु जहां तक खराब राजनीति का संबंध है तो मैं समझता हूँ कि आपातकाल के पश्चात् भी किसी ने आपातकाल लगाने का साहस नहीं किया परन्तु जिस मूल मनोवृत्ति से आपातकाल लगाया था कि

[हिन्दी]

सारे हिंदुस्तान पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए वह सब आज भी है और बीजेपी के खिलाफ काम में आएगा! मैं एलाएंस को कहना चाहता हूँ कि यह सबके काम आएगा। ...(व्यवधान) इसे लालू प्रसाद जी भुगत चुके हैं। आप फिक्र मत कीजिए। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

इसलिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि उसी दिशा में आगे बढ़ें। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय:** यह समाप्त कर रहे हैं। यह उनका अंतिम वाक्य है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी:** जहां तक अर्थव्यवस्था का प्रश्न है तो उन्हें उसी दिशा में आगे बढ़ने दें जिस दिशा में हमने विकसित किया है परन्तु यदि उनमें ऐसा करने की ताकत है तो उन्हें इस राजनीति को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए अन्यथा अपने को इससे दूर कर लें।

**अध्यक्ष महोदय:** अब माननीय प्रधान मंत्री। कृपया हमें एक दूसरे की बात ठीक ढंग से सुननी चाहिए।

**प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह):** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय राष्ट्रपति के संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों के समक्ष दिए गए अभिभाषण के लिए अपनी सरकार की ओर से आभार व्यक्त करने हेतु आज यहां खड़ा होना बड़ा सौभाग्य मानता हूँ।

महोदय, मेरे लिए यह सौभाग्य और भी बड़ा हो जाता है क्योंकि मैंने इस सुअवसर के लिए पूरा वर्ष प्रतीक्षा की।

मैं इस अवसर पर राष्ट्रपति जी का उनके पिछले अभिभाषण और इस वर्ष के अभिभाषण के लिए दोहरा धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, गत वर्ष राष्ट्रपति जी ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के घटकों के सामने हमारे देश के लोगों से मिले ऐतिहासिक जनादेश के बारे में व्याख्या प्रस्तुत किया था। उन्होंने राष्ट्रीय न्यूनतम साक्षा कार्यक्रम सम्मन्ता में भागीदारी, समावेशी समाज, ख्याल रखने वाले राज्य तंत्र की कल्पना का भी वर्णन किया था। राष्ट्रपति ने इस वर्ष संसद को अभिभाषण में तब इस दर्शन का प्रतिपादन किया। जब उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत चमके परन्तु सभी के लिए चमके।

महोदय, इस वर्ष हमने नौ माह के कम समय में राष्ट्रीय न्यूनतम साक्षा कार्यक्रम में किए गए बहुत महत्वपूर्ण वायदों को पूरा करने के लिए जो कदम उठाये हैं। राष्ट्रपति ने उनका वर्णन किया है। यदि राष्ट्रपति के दोनों अभिभाषणों को एक साथ पढ़ा जाए तो उनमें उसी राजनैतिक क्रांति का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। जिसकी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन द्वारा 2004 के चुनावों को जनादेश की व्याख्या करने में रचना की गई थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति ने उन सभी की जिन्होंने 'सुनामी' नामक इस महाविपत्ति से निपटने में बहादुरी से कार्य किया जोरदार शब्दों में प्रशंसा की है। हमारे सशस्त्र बलों, हमारे अर्धसैनिक बलों हमारी राज्य सरकारों और हमारी अपनी केंद्र सरकार के प्राधिकारियों ने राहत प्रदान करने और उसके पश्चात् पुनर्वास के कार्य में जरूरतमंदों की सहायता करने में बढ़ी तेजी से कार्य किया। मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेता द्वारा विशेषकर हमारे

[श्री मनमोहन सिंह]

सशस्त्र बलों, तटरक्षक बलों और हमारे अर्धसैनिक बलों की उनके वीरतापूर्ण कार्य के लिए प्रशंसा करने में उनके साथ हूँ।

आगे बढ़ने से पूर्व मैंने प्रतिपक्ष के माननीय नेता की सलाह को ध्यानपूर्वक सुना था। यह एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं जो मुझे बहुत पहले से राजनीति में हैं। जब उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं एक अदृश्य प्रधानमंत्री बन रहा हूँ तो मेरा पूरी निष्ठा से कहना है कि यह ऐसा आरोप है जिसको मैं नहीं मानता। कोई प्रधानमंत्री दृश्य हैं अथवा अदृश्य हैं इसका हमारी सरकार के कार्यों से आकलन किया जाना चाहिए और जब मैं अपने नौ माह की उपलब्धियों का वर्णन करता हूँ तो इसका निर्णय सभा को करना है।

तथापि, महोदय मेरा कहना है कि पिछले नौ माह में जहाँ भी भारत के लोग संकट में थे मैं सोनिया जी के साथ वहाँ गया था। जब हमारी सरकार के सामने सूखे की समस्या भी तो मैं उन क्षेत्रों में गया था जहाँ सूखा इतना अधिक था कि किसान आत्महत्या कर रहे थे। जब बाढ़ आई थी तो मैं बिहार के लोगों के साथ था; मैं असम के लोगों के साथ था। इसी प्रकार मैं गत छह या सात माह में दो बार जम्मू और कश्मीर गया हूँ। जब हमारे लोगों के सामने सुनामी का संकट था तो मैं अंडमान में गया था; मैं तमिलनाडु में गया था; मैं केरल में गया था और आंध्र प्रदेश भी गया था। इसलिए, हमारा रिकार्ड स्वयं बोलता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं अपनी गत नौ माह की उपलब्धियों का वर्णन करूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों, जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया था ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं। मैंने उनकी भावनाओं को नोट किया है। समयाभाव के कारण मैं शायद सभी प्रश्नों का उत्तर न दे पाऊँ परन्तु मैं माननीय सदस्यों को भरोसा दिलाता हूँ कि इस सभा के पटल पर रखे गए सुझावों पर पूरी गम्भीरता से ध्यान दिया जाएगा।

इस सभा में यह प्रश्न पूछा गया है कि हमने गत नौ महीने में लोगों का विश्वास पुनः प्राप्त करने के लिए वस्तुतः क्या किया है। सबसे पहले मैं यह बता दूँ कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को केन्द्रीय वित्त मंत्री के बजट भाषण के साथ पढ़ा जाना चाहिए और माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा सभा पटल पर रखी गई की-गई-कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट में हमारी सरकार द्वारा इतनी कम अवधि में किए गए इतने विस्तृत कार्य की पूरी-पूरी प्रशंसा की गई है। इसकी प्रतिपूर्ति के स्वरूप हमारी सरकार ने पहली बार लोगों के लिए प्रतिवेदन (रिपोर्ट टू द पीपल) तैयार की है जिसमें आम

लोगों को यह बताया गया है कि राष्ट्रीय न्यूनतम साक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं। इस प्रतिवेदन की प्रतियाँ प्रत्येक संसद सदस्य को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन्हें प्रत्येक मीडिया संगठन को भी भेजा जा रहा है। मुझे विश्वास है कि अभी तक कोई भी सरकार लोगों को सूचना देने के मामले में इतनी पारदर्शी और सक्रिय नहीं रही है। यह बात करने वाला मैं अंतिम व्यक्ति होऊँगा कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया है। मैं यह बात मानता हूँ कि अभी हमें बहुत दूर तक जाना है लेकिन हम इसे बनाए रखेंगे और हम इससे आगे बढ़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आडवाणी जी ने आर्थिक नीतियों के बारे में बात की थी। गत 50 वर्षों के दौरान हमारे देश में काफी प्रगति हुई है। मैं गंभीरतापूर्वक इस बात का कायल हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था की ठोस बुनियाद—पंडित जी द्वारा सृजित वैज्ञानिक अवसंरचना, ज्ञान के मंदिर विश्वविद्यालय, पंडित जी द्वारा सृजित प्रबन्धन व प्रौद्योगिकी के संस्थान, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में किया गया निवेश आदि के बिना आज हम जहाँ पहुँचे हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते।

आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किए गए हैं। प्रत्येक जीवंत समाज में ये परिवर्तन करने पड़ते हैं। पंडित जी स्वयं अक्सर कहा करते थे कि हम एक गतिशील संसार में रह रहे हैं और हम सदा दास नहीं बने रह सकते। अतः हमने परिवर्तन किए हैं परंतु हमारी आर्थिक नीति का जोर मूलतः उन्हीं बातों पर है जिन पर हमारी स्वतंत्रता के समय था—आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, प्रगतिशील, माननीय तथा समतावादी समाज की स्थापना करना।

आर्थिक मोर्चे पर, भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्च विकास के पथ पर ले जाने के हमारे प्रयासों का फल मिलने लगा है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका उल्लेख किया है और वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस पर और प्रकाश डाला है। हमारी सरकार को जिस प्रकार से बहुमत मिला था उससे यह परिलक्षित होता है कि आम आदमी की समस्याओं का जिस प्रकार निराकरण किया जा रहा था उससे वह असंतुष्ट था। इसीलिए हमने अपनी आर्थिक नीति के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्यों के रूप में महंगाई से संघर्ष और रोजगार सर्जन को निर्धारित किया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि सूखा और पेट्रोलियम उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में तेजी से वृद्धि होने के बावजूद भी मुद्रास्फीति की दर पाँच प्रतिशत से कम रही है।

इसी के साथ-साथ हम विकास दर में वृद्धि को बनाए रखने में भी सफल रहे हैं जो कि न केवल इस वर्ष लगभग 7 प्रतिशत है अपितु आने वाले वर्षों में भी इसके इसी ऊँचाई पर बने रहने की संभावना है। विदेशों में हमारे प्रभाव में वृद्धि हुई है और

अन्तर्राष्ट्रीय साख निर्धारण एजेंसियां हमारी मुद्रा की रेटिंग में वृद्धि कर रही हैं। हमारी भुगतान संतुलन की स्थिति इतनी बेहतर कभी नहीं रही है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी वृद्धि हो रही है। अप्रैल से जनवरी 2005 तक हमारे निर्यात में डालर में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

महोदय, इससे भी प्रभावशाली बात तो यह है कि रा.ज.ग. सरकार के अन्तर्गत पड़े निवेश के अकाल के बाद हमने निवेश गतिविधियों को स्पष्ट रूप से पुनरुज्जीवित होते देखा है और तदनुसार हमारी अर्थव्यवस्था के भविष्य में विश्वास का प्रदर्शन दिखाई देता है। इससे इस तथ्य के प्रति बढ़ता विश्वास भी परिलक्षित होता है कि सबको समाहित करने की हमारी राजनीति अधिक समान आर्थिक वृद्धि के लिए एक अधिक मानवीय सामाजिक आधार तैयार करती है। केन्द्र और राज्य सरकारों का बढ़ता राजकोषीय व राजस्व घाटा हमारी चिंता के विषयों में से एक है और मुझे पूरी आशा है कि हम एक साथ मिलकर इस राजकोषीय चुनौती का सामना करने हेतु एक राष्ट्रीय राजनैतिक सर्वसम्मति बना ही लेंगे। महोदय, मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों को केन्द्रीय बजट पर चर्चा के दौरान इस पर और अधिक चर्चा करने का अवसर प्राप्त होगा।

महोदय, इस आशावादी भावना को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने एक अधिक समतामूलक आर्थिक ढांचा तैयार करने हेतु कदम उठाए हैं इस ढांचे के अन्तर्गत सभी क्षेत्र और वर्ग विकास की इस प्रक्रिया में भाग लेंगे। उच्च वृद्धि दर बनाए रखने का तब तक कोई लाभ नहीं है जब तक इसके लाभ में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं को भी हिस्सा न मिले। इसके लिए उन्हें सशक्त बनाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, अर्थव्यवस्था में उनकी सक्रिय भागीदारी हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने हेतु निवेश किए जाने की आवश्यकता है। उन्हें एक ऐसा सामाजिक-कानूनी ढांचा उपलब्ध कराना पड़ेगा जहां उनके अधिकारों को मान्यता तथा सुरक्षा मिले और एक सहअस्तित्व और सबको समाहित किए जाने का वातावरण निर्मित हो सके।

महोदय, मुझे विश्वास है कि हमारे प्रयासों के परिणामों से इस देश के लोग संतुष्ट होंगे। एक सफल देश की नींव एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था, एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था, मजबूत संस्थाओं व सद्भावनापूर्ण समाज पर आधारित होती है। हम अपने देश के इन मूलभूत आधारों को मजबूत बनाने के लिए वचनबद्ध हैं।

महोदय, मैंने हमारी आर्थिक नीति के ढांचे में व्यापक मानकों की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सात

वरीयता क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है और मैं सभा का ध्यान इन वरीयता क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिससे कि हमने जो किया है और जो कुछ करने की हमारी योजना है आप लोगों के सामने उसका एक खाका प्रस्तुत हो सके। मैं मानता हूँ कि कल श्री जार्ज फर्नान्डीज ने इस मामले का उल्लेख किया था और उन्हें राष्ट्रपति जी के अभिभाषण और वित्त मंत्री के बजट भाषण में कोई समानता नहीं मिली। परन्तु मैं उससे सहमत नहीं हूँ और मैं यह नहीं दिखाना चाहता हूँ कि हमने जो कुछ किया है और हम इस देश को पुनः प्रगति के उच्च पथ पर ले जाने हेतु, उत्पादन व रोजगार में भारी वृद्धि करने हेतु और सामाजिक समानता के क्षेत्र में एक दृढ़ प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने हेतु क्या कुछ करना चाहते हैं।

महोदय, राष्ट्रपति जी ने हमारी सरकार के सात वरीयता प्राप्त क्षेत्रों का उल्लेख किया है, वे सात क्षेत्र हैं—कृषि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य परिचर्या, पानी, शहरी नवीकरण और अवसरचना। माननीय सदस्यगण इन उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और हमारे एक समृद्ध व समतामूलक भारत का निर्माण करने की दृष्टि के बीच सह-सम्बन्ध पायेंगे कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि हम इन सात महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी निवेश को केन्द्रित किए बिना सतत और समतामूलक विकास का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते।

महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि जन सुविधाओं में निवेश करना एक समेकित विकास प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। हमारे द्वारा शिक्षा उपकर लगाने तथा शैक्षिक कार्यक्रमों को वरीयता देने से प्राथमिक शिक्षा को हमारे द्वारा दिए गए महत्व का पता लगता है। इसी के साथ-साथ हम एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरम्भ करने वाले हैं जो कि न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का पुनरुद्धार करेगा अपितु पोषण व शिक्षा के क्षेत्र में हमारे द्वारा की गई पहल सहित जन सुविधाओं के लिए पूंजी का निर्माण करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शायेगा।

महोदय, माननीय सदस्यगणों और यहां तक कि आडवाणी जी ने भी इस तथ्य का उल्लेख किया है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में ग्रामीण विकास के बारे में कोई उल्लेख नहीं हुआ है। महोदय, यह बात भी सही नहीं है। हमने एक कार्यक्रम, एक व्यापक कार्यक्रम—भारत निर्माण तैयार किया है जिसमें ग्रामीण भारत की शासन व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण और बजट भाषण दोनों में 'भारत निर्माण' कार्यक्रम की रूपरेखा दी गई है और बजट भाषण में वर्ष 2009 तक सिंचाई, आवास, ग्रामीण सड़क, पेयजल, बिजली और

दूरसंचार के क्षेत्रों में स्पष्ट परिणाम हासिल करने की हमारी प्रतिबद्धता को ठोस आकार प्रदान किया गया है।

माननीय श्री जार्ज फर्नान्डीज जी इस बात को लेकर निराश हुए हैं कि बजट भाषण में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में 'भारत निर्माण' के उल्लेख के संबंध में अधिक प्रकाश नहीं डाला गया है। महोदय, 'भारत निर्माण' कोई योजना नहीं है और यह 'परिव्ययों' के बारे में न होकर 'परिणामों' के बारे में है। ग्रामीण अवसंरचना के विकास हेतु यह एक चार वर्षीय कार्यक्रम है। वित्त मंत्री जी ने इसके निम्नलिखित परिणामों की पहचान की है, नामतः

- \* एक करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सुनिश्चित सिंचाई प्रदान करना;
- \* 1000 (या पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में 500) की जनसंख्या वाले सभी गांवों को सड़क से जोड़ना;
- \* गरीबों के लिए 60 लाख अतिरिक्त आवासों का निर्माण;
- \* छूट गई 74,000 बसावटों को पेयजल उपलब्ध कराना;
- \* शेष बचे 1,25,000 गांवों को बिजली पहुंचाना तथा 2.3 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन की सुविधा प्रदान करना; और
- \* शेष बचे 66,822 गांवों को दूरभाष सम्पर्क प्रदान करना।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आबंटन कहां है? ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बजट पर चर्चा के दौरान इस पर बोलिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है?

[अनुवाद]

डा. मनमोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, बजट में इनमें से प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए आबंटनों में वृद्धि की गई है। इन परिणामों की रूपरेखा बनाते समय हम आवश्यक परिव्यय तैयार करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

अवसंरचना के मोर्चे पर हमारे सामने बहुत बड़ा कार्य है। उद्योग और व्यापार की राह में सबसे बड़ी रुकावट अच्छे किस्म की अवसंरचना का अभाव है। हम असंरचना में निवेश हेतु नीतियों को बेहतर बनाने के लिए अनथक प्रयास कर रहे हैं फिर वह चाहे बिजली, सड़कें, पत्तन, रेलवे, नागर विमानन और दूरसंचार की ही बात क्यों न हो। हम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करेंगे तथा उसकी प्रतिपूर्ति निजी निवेश से करेंगे। जहां कहीं भी संभव और समुचित होगा हम वहां निजी-सार्वजनिक सहभागिता का भी प्रयास करेंगे। ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या मिशन और शहरी नवीकरण मिशन ऐसी साझेदारियों को सुगम बनायेंगे। शहरी नवीकरण मिशन शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान करेगा जबकि इसी के साथ-साथ हमारे शहरों में विश्व-स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराएगा।

हमने जल को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में चुना है। मेरे विचार से कल श्री सुरेश प्रभु ने जल क्षेत्र की उपेक्षा का उल्लेख किया था। मेरी दलील यह है कि मेरा दोष नहीं है। मैंने पानी की उपलब्धता और उपयोग के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए बहुत से नीतिगत मुद्दों को सुना है। महोदय, मैं माननीय सदस्यगणों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर हमारे राजनैतिक नेताओं पर यह दबाव डालें कि वे पानी के मामले में राजनीति करने की अपनी इच्छाओं का दमन करें। हमारी सरकार सबको पानी उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमें इस भारी चुनौती से निपटने हेतु सहयोग की भावना को जागृत करना होगा।

महोदय, हमारी नीति का महत्वपूर्ण केन्द्र बिंदु शिक्षा है। अनेक माननीय सदस्यों ने शिक्षा तक पहुंच और उत्कृष्टता की अनेक चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाया है। हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन करने का विचार कर रहे हैं जो हमारी शैक्षणिक प्रणाली की गुणवत्ता पर ध्यान देगा। शिक्षा उपकर के द्वारा वित्तपोषित विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा हम शिक्षा तक पहुंच के मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं। 'मिड डे मील' कार्यक्रम पर बल देने का हमारा उद्देश्य शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है।

हमारी सरकार नौ माह से सत्ता में है और मैं गर्व के साथ यह बताना चाहता हूँ कि विश्व में भारत की प्रतिष्ठा इतनी अधिक कभी नहीं थी जितनी कि आज है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले नौ माह में विश्व हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की मजबूती और शक्ति से मंत्रमुग्ध हुआ है। हमें सफल लोकतंत्र के एक ऐसे उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है कि जिसकी शासन व्यवस्था हमारी जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु आवधिक रूप से शक्ति का पुनर्वितरण करती है।

आज भारत प्रभावी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बहुजातीय, बहुधर्मी और बहुभाषी समाज को अनेक प्रकार से संचालित करते हुए आदर्श रूप है। यह वह शक्ति है जिसकी हम सभी को कद्र करनी चाहिए तथा इसे विकसित करना चाहिए, यह वह शक्ति है जो हमारे देश के निर्माताओं की दूरदर्शिता को पूरा करने हेतु सभी चुनौतियों को पार करने में समर्थ बनाएगी, जैसाकि मैंने कहा इस दृष्टिकोण में एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज भी शामिल है। पिछले वर्ष संग्रह सरकार का चुनाव परिवर्तन के लिए जनादेश की अभिव्यक्ति थी। हमें इसका सम्मान करना चाहिए तथा हमारी संस्थाओं को प्रभावी रूप से काम करने देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): नक्सलाइट्स के बारे में क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। आप सभी वरिष्ठ सदस्य इस तरह गैर-जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। जब तक प्रधानमंत्री अपनी बात नहीं कह लेते, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब तक प्रधानमंत्री अपनी बात नहीं कह लेते, कोई भी टिप्पणी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

डा. मनमोहन सिंह: अब मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों, अर्थात् पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर के मुद्दों पर चर्चा करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने कार्यकाल के नौ माह में हमारी सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति को बेहतर बनाने

के लिए भी काफी मेहनत की है। सुरक्षा का माहौल कायम करने के लिए हम दृढ़संकल्प रहे लेकिन ऐसा करने में हमने मानवीय आधार को नजरअंदाज नहीं किया। हम सभी आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों, चाहे वह वाम चरमपंथ अथवा पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद से संबंधित हो, पर एक व्यापक और सुव्यवस्थित दृष्टिकोण विकसित किया है।

हम वाम चरमपंथ के प्रसार पर चिंतित हैं और हम ईमानदारी से आश्वासन देते हैं कि हम इस समस्या के सभी पहलुओं—राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक—से निपटने में राज्य सरकारों के साथ काम करेंगे। हम समाज के बीच असंतोष और अलगाव के मूल कारणों पर ध्यान देंगे जिसके कारण वे लोग इस तरह के उग्रवाद को अपना लेते हैं। केन्द्र सरकार, राज्यों को अपनी सुरक्षा से संबंधित व्यय को पूरा करने हेतु उन्हें सहायता प्रदान कर रही है तथा अतिरिक्त केन्द्रीय बलों की तैनाती की लागत वहन करने का भी निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में हमारे पड़ोसी देशों के घटनाक्रम भी चिंता का विषय है। हमारी सरकार इस समस्या के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने हेतु अग्रणी भूमिका निभाएगा। हमारी सरकार की नीति है कि यदि उग्रवादी हिंसा का रास्ता छोड़ देते हैं तो उनसे बातचीत की जाएगी, समुचित और निष्पक्ष कानून हो और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा ताकि वह राज्य की कार्यवाही में प्रभावी माध्यम बन सके। इसमें केन्द्र सरकार स्थायी समाधान निकालने में सभी प्रभावित राज्यों का साथ देगी।

विधिसम्मत शासन पर आधारित कल्याणकारी समाज की हमारी वचनबद्धता पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्र विशेषरूप से मणिपुर राज्य की स्थिति के प्रति हमारे दृष्टिकोण में प्रतिबिंबित हुई थी। हमने लोगों की ओर सहायता का हाथ बढ़ाया, ऐसा हाथ जो जनता की वास्तविक शिकायतों को समझने के लिए वचनबद्ध है। मणिपुर को कांगला किला साँपते समय मणिपुरियों की अभूतपूर्व भीड़ के चेहरों पर झलक आई खुशी ने मुझे आवश्यक विश्वास दिया कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और राज्य सामान्य स्थिति की ओर अग्रसर हो सकता है।

श्री आडवाणी जी ने मुझसे एन.एस.सी.एन. के साथ हुई चर्चा के बारे में पूछा था। बातचीत चल रही है और उसकी गति संतोषजनक है। हम एक-दूसरे के विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इन चर्चाओं का सफल निष्कर्ष निकलेगा।

मैं यह भी कहूंगा हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले इस तरह की सभी चर्चाएं देश के बाहर हो रही थी। हमारी

[डा. मनमोहन सिंह]

सरकार ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि ये चर्चाएँ हमारे देश के भीतर होनी चाहिए और इसमें हम सफल हुए। नागालैण्ड की समस्याओं से निपटने में यही एक सकारात्मक घटना है।

महोदय, जम्मू-कश्मीर की समस्याओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण से इस तरह से काफी फायदा हुआ है कि हाल ही में वहां स्थानीय सरकार के चुनाव में राज्य के लोग उसमें भाग लेने के लिए आगे आए। लोकतंत्र की ताकतों को, वोट डालने वालों की संख्या तथा फैसले से काफी प्रोत्साहन मिला है। इस वर्ष जम्मू-कश्मीर राज्य में स्पष्टतः कम हिंसा हुई है। जनता शांति और सामान्य स्थिति चाहती है। मैं स्वयं दो बार जम्मू-कश्मीर गया था। पुनर्निर्माण पैकेज देकर वहां जो काम शुरू किए गए हैं उससे वहां की जनता में काफी उत्साह पैदा हुआ है। वर्ष 2004 के दौरान घुसपैठ 60 प्रतिशत से अधिक कम हुई है। क्षितिज में आशा है और यदि हम आर्थिक क्रियाकलाप की गति बनाए रखेंगे तो हम परिदृश्य में और अधिक सुधार देखेंगे।

महोदय, आतंकवाद तथा अन्य सीमापार अपराधों जैसे शस्त्रों, नकली मुद्रा, नशीले पदार्थों की तस्करी के बाह्य आयाम को देखते हुए हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुदृढ़ करना बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें सीमाओं पर बाढ़ लगाना, सीमा क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क बेहतर बनाना तथा सीमाओं पर उच्च तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण उपकरण लगाना शामिल है।

महोदय, मैं पुनः यह बात दोहराना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आतंकवाद तथा उग्रवाद के प्रति नरम दृष्टिकोण नहीं रखती है। तथापि, सरकार हमारे कुछ कानूनों द्वारा उत्पन्न अमानवीय स्थिति को समझना चाहती है और इसलिए इनमें संशोधन करना चाहती है। हम राष्ट्रीय न्यूनतम साक्षा कार्यक्रम के प्रति वचनबद्ध हैं जिसमें कहा गया है कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा। तथापि, हम पोटा के दुरुपयोग पर समान रूप से चिंतित हैं और हमने वर्तमान कानूनों को और अधिक कड़ाई से लागू करते हुए 'पोटा' को निरस्त करने का निर्णय लिया है। तथापि, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में संशोधन करके मौजूदा कानूनी ढांचे को काफी सुदृढ़ किया गया है ताकि आतंकवाद से जुड़े मुद्दों से प्रभावी रूप से निपटा जा सके।

महोदय, मैं अपनी बात जारी रख सकता हूँ लेकिन सभा में किसी भी सदस्य ने विदेश नीतियों से संबंधित मुद्दे प्रस्तुत नहीं किए। अतः, समय की कमी के कारण मैं उस विषय को छोड़ता हूँ। तथापि, मैं पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों के बारे में उल्लेख करना चाहता हूँ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बाहर जनरल मुशर्रफ से मिलने के पश्चात् संयुक्त वार्ता के सभी विषय चर्चाधीन हैं।

हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट तथा बालीवुड सिनेमा के प्रति प्रेम के अलावा कोई भी हमारे उपमहाद्वीप के लोगों को एक साथ नहीं ला सकता है। मैं आज इस तथ्य से भी समान रूप से अवगत हूँ कि मैं यदि इस सभा में बोलता हूँ तो मैं राष्ट्र का ध्यान सहवाग और कमल जैसे बुवाओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। शायद ऐसा ही होना चाहिए। निःसंदेह कितना अच्छा होगा यदि हम इस सम्माननीय सभा में अपना कार्य उसी तरह करें जिस तरह से हमारे क्रिकेटर उपमहाद्वीप में खेल के मैदान में अपनी खेल प्रियता की भावना प्रदर्शित करते हैं।

महोदय, पिछली टेस्ट श्रृंखला में हमारे देश के लोग पाकिस्तान गए और वहां से मिलनसारी तथा गर्मजोशी से हुए सत्कार की यादें लेकर लौटे। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी जनता ने बदले में पाकिस्तान से आए हजारों दर्शकों का सत्कार किया। राष्ट्रों के बीच संबंध उनकी जनता के बीच संबंधों से ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे विश्वास है कि समय हमारे जख्मों पर मरहम का काम करेगा और इस उपमहाद्वीप में साझी समृद्धि और शांति का वातावरण बनेगा जिसमें हम इस उपमहाद्वीप के कल्याण के लिए मिलकर काम करेंगे।

महोदय, मुझे इस सभा के माननीय सदस्यों को यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि मैंने हमारे देश में क्रिकेट की दोनों टीमों के बीच होने वाले मैच को देखने के लिए राष्ट्रपति मुशर्रफ को भारत में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। यह मेरी प्रबल इच्छा है कि हमारे पड़ोसी देश के लोग और उनके नेता जब कभी भारत आना चाहे तो आ सकें। फिर चाहे वह क्रिकेट मैच देखने के लिए आता हो, कुछ खरीददारी करनी हो या फिर मित्रों और परिवारों से मिलना हो। भारत को एक मुक्त समाज और मुक्त अर्थव्यवस्था होने पर गर्व है। मैं आशा करता हूँ कि राष्ट्रपति मुशर्रफ और उनका परिवार भारत भ्रमण का आनंद उठाएंगे ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इस तथ्य पर अपना खेद व्यक्त नहीं करता कि सभा की कार्यवाही में एक बार फिर इस तरह से व्यवधान उत्पन्न किया गया है कि इस सभा को इस पर गर्व नहीं हो सकता है, तो मैं अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता हूँ ... (व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आज सुबह क्या हुआ था? ... (व्यवधान)

डा. मनमोहन सिंह: मैं, हमारे कुछ सदस्यों द्वारा व्यक्त इन भावनाओं से सहमत हूँ कि हमारा लोकतंत्र बिना किसी भय अथवा पक्षपात के विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अधिकार देता है और हमें इन स्वतंत्रताओं का उपयोग उचित रूप से करना चाहिए। हम लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों की

प्रासंगिकता और भूमिका के बारे में व्यंग्य करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। हमारे समक्ष बहुत काम पड़ा है और हम उसे समय नहीं दे पा रहे हैं। मैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रपतिजी की भावनाओं को समझता हूँ जब उन्होंने यह कहा, और मैं उसे उद्धृत करता हूँ:

“भारत की जनता इन महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक विधानों पर आपके विचारों और निर्णयों की आतुरता से प्रतीक्षा करती है। माननीय सदस्यों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जनता ने आप में जो आस्था और विश्वास व्यक्त किया है, आप इन विधेयकों पर समुचित रूप से विचार करने के लिए स्वयं को समर्पित करके उसका सम्मान करें। संसद के समय का हर क्षण कीमती है और प्रत्येक नागरिक और करदाता इसे काफी तरजीह देता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास जितना समय है आप उसका कारगर उपयोग करेंगे और नागरिकों की आशाओं व आकांक्षाओं को पूरा करेंगे।”

ये शब्द हमारे राष्ट्रपति जी के हैं।

माननीय सदस्यों को वास्तविक चिंताएं होंगी जिनको वे सभा में व्यक्त करना चाहते होंगे। आखिरकार उनके मतदाता भी उनसे ऐसा करने की उम्मीद करते हैं। मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं की आलोचना करना वाला मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा। तथापि, दूसरे अन्य तरीके भी हैं, जिनके माध्यम से हम सभा की कार्यवाही में बाधा डाले बिना अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं सभा की परिस्थिति को पूरी निष्ठा, धैर्य और परिहास से निपटने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि विपक्ष के माननीय नेता मुझसे सहमत होंगे कि हमें इस सम्मानीय सभा की प्रतिष्ठा और मर्यादा बनाये रखने का हर सम्भव प्रयास करना चाहिये और ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे इसकी प्रतिष्ठा देशवासियों तथा समूचे विश्व की नजर में कम होती हो। मैं एक बार पुनः सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि वे सभा की कार्यवाही में सक्रिय और प्रभावी रूप से भाग लें और अपने विचारों को उचित माध्यम से रखें।

अध्यक्ष महोदय, अनुग्रह प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और पुनः महामहिम राष्ट्रपति के विचारशील अभिभाषण के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं चाहूंगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों ने काफी संख्या में संशोधन प्रस्तुत किये हैं। क्या मैं सभी संशोधनों को मतदान के लिए सभा में एक साथ रखूँ अथवा कोई माननीय सदस्य, किसी विशेष संशोधन को अलग से रखना चाहता है?

अपराहन 2.00 बजे

अब मैं सभी संशोधन सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं सभा के मतदान के लिए मुख्य प्रस्ताव रखूंगा।

प्रश्न यह है:

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये।”

“कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 25 फरवरी, 2005 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है। उनके अत्यन्त आभारी हैं।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद।

अब सभा अपराहन 3.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है

अपराहन 2.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराहन 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा अपराहन 3.04 बजे पुनः समवेत हुई।

अपराहन 3.04 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): महोदय, मैं कल उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के प्रभाव और निहितार्थ संबंधी